सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 24.05.2024

जनपद –आजमगढ़

01.थाना- फूलपुरः लूट की घटना कारित करने वाला हिस्ट्रीशीटर व अन्तर्जनपदीय बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल व सहयोगी गिरफ्तार; अवैध तमंचा, 03 खोखा, 03 जिन्दा कारतूस, 01 मोटर साइकिल व लूट का मोबाइल फोन बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 07-05-2024 को वादी मुकदमा अमित कुमार पुत्र अशोक कुमार सा0 हथनौरा कला थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रा0 पत्र दिया गया कि तीन अज्ञात मोटर साइकिल सवार व्यक्ति वादी का मोबाइल फोन (टेक्नो स्पार्क एटी) को डरा धमका कर ले लिये। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 230/24 धारा 382 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0 गंगा राम बिन्द थाना फूलपुर द्वारा सम्पादित की जा रही है।

➡ विवेचना एवं साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 392 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी है।

➡ मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान अभियुक्तों 1. रमेश नोना पुत्र आशाराम साकिन शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर, 2. दिवाकर पुत्र पप्पू साकिन टेऊंगा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, 3. राहुल नोना पुत्र विनोद नोना साकिन इमली महुआ थाना पवई जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी/मुठभेड़ का विवरण- आज दिनांक 23-05-2024 को प्रभारी निरीक्षक फूलपुर शशिचन्द्र चौधरी मय हमराह व0उ0नि0 गंगा राम बिन्द मय हमराह क्षेत्रभ्रमण के दौरान कस्बा फूलपुर मे मौजूद थे। सूचना प्राप्त हुई कि बिना नम्बर की मोटर साइकिल (एचएफ डीलक्स) के साथ 03 बदमाश सरायमीर से ग्राम टिकरिया - मनरा होते हुये फूलपुर की ओर आ रहे है जो किसी घटना को कारित करने की फिराक मे है, जिनके पास तमंचा- कारतूस भी है।

➡ इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक फूलपुर मय पुलिस बल द्वारा मनरा गाँव की तरफ जाने वाले मार्ग **संकट मोचन कुटी के पास** पहुंचे तथा दो टीमों को सड़क के दोनो तरफ लगाकर संदिग्ध मोटर साइकिल सवार का इन्तजार करने लगे कि कुछ देर बाद एक मोटर साइकिल पर सवार तीन व्यक्ति आते दिखाई दिए। नजदीक आने पर मोटर साइकिल सवारो को टार्च की रोशनी से रुकने का इशारा किया गया, परन्तु मोटर साइकिल सवार अचानक पुलिस बल को देखकर अपनी मोटरसाइकिल को तीव्रता से पीछे सरायमीर की तरफ मोड़कर भागने के प्रयास में फिसलकर गिर गये तथा झाड़ियों के पीछे छिपकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे। पुलिस बल द्वारा बदमाशों को पर्याप्त चेतावनी के बाद आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी जिसमें एक बदमाश के बायें पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु सीएचसी फूलपुर भेजा गया तथा 01 बदमाश को मौके से **समय करीब 01:10** बजे गिरफ्तार कर लिया गया व 01 बदमाश अंधेरा का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया।

➡ घायल बदमाश की पहचान **रमेश नोना पुत्र आशाराम साकिन शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर** तथा गिरफ्तार बदमाश की पहचान **दिवाकर पुत्र पप्पू साकिन टेऊंगा थाना फूलपुर आजमगढ़** के रूप मे हुयी।

➡ मौके से **02 देशी तमंचा, 03 खोखा कारतूस, 03 जिन्दा कारतूस .315, 01 मोबाइल फोन (लूट का टेक्नो कम्पनी का) व 01 मोटर साइकिल एचएफ डीलक्स (बिना नम्बर प्लेट की) बरामद** हुआ।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0- 268/24 धारा 34/307/504, भा0द0वि0 व 3/25 शस्त्र अधि0** पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

➡ अभियुक्त रमेश नोना जनपद अम्बेडकर नगर का **हिस्ट्रशीटर (HS. N.- 25A)** है जिसके विरूद्ध जनपद आजमगढ़, जौनपुर व अम्बेडकर नगर में **कुल 16 मुकदमें** पंजीकृत है, एवं अभियुक्त दिवाकर के विरूद्ध जनपद में 02 मुकदमें पंजीकृत है।

02.थाना – अहरौलाः 50 हजार रुपये का इनामियां हिस्ट्रीशीटर अपराधी व D-218 गैंग का लीडर सलमान पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार; 01 देशी तमन्चा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस व 600/- रुपये बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 06.02.2024 को वादी मुकदमा संजय पुत्र स्व0 ओम प्रकाश ग्राम खजुरी धनेज पट्टी थाना अहरौला जनपद द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों 1. सलमान पुत्र फिरोज 2. तालिब पुत्र फिरोज समस्त निवासी पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की माता व दादी के नाम की जमीन को जबरदस्ती धोखे से लिखवा कर मकान बना लिये हैं। तथा वादी द्वारा

अपनी जमीन के लिए पूछने पर गाली गलौज व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दिये जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 47/24 धारा 420/327/504/506 भादवि0 व 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(5)(a)SC/ST ACT पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर द्वारा की जा रही है।

➡ पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ श्री अखिलेश कुमार द्वारा थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 432/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित गो-तस्कर अपराधी सलमान पुत्र फिरोज निवासी पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजगमढ़ उम्र 36 वर्ष लगातार फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर पर 50 हजार रुपयें का नकद पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी/मुठभेड़ का विवरण- आज दिनांक 22.05.2024 को थानाध्यक्ष अहरौला सुनील कुमार दूबे मय हमराह गौरीपुर पुलिया पर मौजूद थे। मुखबीर ने सूचना दिया कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त ग्राम शाहपुर से बरईपुर पुलिया होते हुये गौरीपुर पुलिया की तरफ आ रहा है जिसके पास असलहा-कारतूस है। जो किसी घटना को कारित करने वाला है । इस सूचना पर थानाध्यक्ष अहरौला मय पुलिस बल, स्वाट व सर्विलांस मय टीम द्वारा **बरईपुर पुलिया** पहुचें और चेकिंग प्रारम्भ की गयी। कुछ समय पश्चात 01 व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त व्यक्ति पुलिस बल को देखकर बरईपुर गांव की तरफ भागने का प्रयास करने लगा कि पुलिस बल द्वारा घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया। अपने आप को घिरता देखकर पुलिस बल को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगा, पुलिस बल द्वारा पर्याप्त चेतावनी के पश्चात जवाबी कार्यवाही करते हुये आत्मरक्षार्थ नियन्त्रित फायरिंग की गयी जिसमें अभियुक्त के दोनो पैरो में गोली लगी जिसे **समय करीब 23:50 बजे** हिरासत मे लिया गया तथा उपचार हेतु सीएचसी अहरौला ले जाया गया है।

➡ **घायल बदमाश की पहचान हिस्ट्रीशीटर (नं0- 49A) व D-218 गैंग के लिडर सलमान पुत्र फिरोज निवासी पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजगमढ़ उम्र 36 वर्ष के रुप में हुयी।**

➡ घायल बदमाश के कब्जे से **01 देशी तमन्चा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर व 600/- रुपये** बरामद हुआ।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 255/24 धारा 307 भादवि0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

➡ अभियुक्त के विरुद्ध कुल 29 मुकदमें पंजीकृत है।

03.थाना – अहरौला: रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार; 02 फर्जी रेलवे आईडी कार्ड

पूर्व की घटना- दिनांक 19/05/2024 को वादी मुकदमा अनुज भारद्वाज S/0 फत्तेचन्द्र भारद्वाज निवासी ग्राम देवरिया बुजुर्ग जिला मऊ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी मुकदमा से विपक्षियों 1. शशिकान्त पाण्डेय पुत्र चन्द्रशेखर पाण्डेय 2.मंजू पाण्डेय पत्नी शशिकान्त पाण्डेय 3. विकास पाण्डेय पुत्र शशिकान्त पाण्डेय 4. अमन पाण्डेय पुत्र शशिकान्त पाण्डेय समस्त निवासी आतापट्टी भीमलपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने रेलवे मे नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करके पैसा ले लिया जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 230/24 धारा 420/406 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्रीप्रकाश मिश्र क द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 22.05.2024 को उ0नि0 श्रीप्रकाश मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. शशिकान्त पाण्डेय उर्फ सोनू पुत्र चन्द्रशेखर पाण्डेय निवासी आतापट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष, 2. दिनेश कुमार पाण्डेय पुत्र जगतम्बा प्रसाद पाण्डेय निवासी गहजी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ हाल पता मकान 34

फुसूपुरवा थाना चिनहट जनपद लखनऊ उम्र करीब 50 वर्ष को पश्चिम पट्टी निषाद बस्ती तिराहा कुआ के पास से समय करीब 17.30 बजे गिरफ्तार किया गया जिनके पास से रेलवे के 02 फर्जी आई कार्ड बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

04.थाना देवगांव: गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे से संबन्धित अंग्रेजी शराब तस्कर गैंग लीडर व गैंग का सदस्य गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 06.04.2023 को थाना प्रभारी देवगांव मय हमराह द्वारा रामजतन गुप्ता पुत्र घुरहू निवासी पवनी खुर्द थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ के बन्दशुदा मुर्गी फार्म के पास बने टीनशेड के हाल में अंग्रेजी शराब की 180 ml की 219 गत्तों में 10512 शीशी, 4.5 किग्रा यूरिया व 01 किग्रा नौसादर के साथ 02 अभियुक्तों 1. सुनील यादव पुत्र मंगरू यादव निवासी खुझरा थाना मेंहनाजपुर आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष 2. श्याम नरायण यादव पुत्र कान्ता यादव निवासी सरैया थाना देवगाँव आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 143/2023 धारा 419/420/272/273 भादवि व 601,63 आवकारी अधिकारी अधिनियम बनाम 1. भीम यादव उर्फ अरविन्द यादव पुत्र सुवाष यादव निवासी खजुरा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ 2. रामजतन गुप्ता पुत्र घूरहू निवासी पवनी खुर्द थाना मेहनगर जनपद आजमगढ 3. घनश्याम यादव पुत्र मंगरु यादव निवासी खुझरा थाना मेंहनाजपुर

जनपद आजमगढ 4. बेचू यादव उर्फ संतोष यादव पुत्र संवरु यादव निवासी हिलालपुर थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ 5. बहादुर यादव पुत्र रामलाल यादव निवासी उचहुवा करनेहुआ थाना चन्दवक जनपद जौनपुर 6. सुनील यादव पुत्र मंगरु यादव निवासी खुझरा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ 7. श्यामनरायण यादव पुत्र कान्ता यादव निवासी सरैया थाना देवगाँव जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया।

दिनांक 08.04.2024 को उ0नि0 रत्नेश कुमार दूबे मय हमराह द्वारा स्विफ्ट डिजायर कार से ले जा रहे 180 ml की 5 गत्तो में 240 शीशी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। अवैध शराब ले जा रहे अभियुक्तगण मौके से फरार हो गये। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 156/2023 धारा 601,63,व 72 आबकारी अधिनियम बनाम भीम यादव उर्फ अरविन्द यादव पुत्र सुवाष यादव निवासी खजुरा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ व विंध्याचल पुत्र सुदामा यादव निवासी सिधौना थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया।

➡ दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि उक्त अंग्रेजी शराब तस्करी का गैंगलीडर 1. भीम यादव उर्फ अरविन्द यादव पुत्र सुवाष यादव निवासी खजुरा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ व सदस्य 2. रामजतन गुप्ता पुत्र घूरहू निवासी पवनी खुर्द थाना मेहनगर जनपद आजमगढ 3. घनश्याम यादव पुत्र मंगरु यादव निवासी खुझरा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ 4. बेचू यादव उर्फ संतोष यादव पुत्र संवरु यादव निवासी हिलालपुर थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ 5. बहादुर यादव पुत्र रामलाल यादव निवासी उचहुवा करनेहुआ थाना चन्दवक जनपद जौनपुर 6. सुनील यादव पुत्र मंगरु यादव निवासी खुझरा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ 7. श्यामनरायण यादव पुत्र कान्ता यादव निवासी सरैया थाना देवगाँव जनपद आजमगढ 8. विंध्याचल पुत्र सुदामा यादव निवासी सिधौना थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ है।

➡ उपरोक्त गैंग के कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक देवगांव की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय द्वारा दिनांक 20.05.2024 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक 22.05.2024 को प्रभारी निरीक्षक देवगांव विनय कुमार मिश्र की तहरीर पर गैंगलीडर गैंगलीडर 1. भीम यादव उर्फ अरविन्द यादव पुत्र सुवाष यादव निवासी खजुरा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ व सदस्य 2. रामजतन गुप्ता पुत्र घूरहू निवासी पवनी खुर्द थाना मेहनगर जनपद आजमगढ आदि 08 नफर के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 197/2024 धारा 31,2Bii उ0प्र0 गिरोहबन्द एव समाज बिरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। जिसकी प्रारम्भिक विवेचना उ0नि0 लालबहादुर प्रसाद द्वारा संपादित किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तारी का विवरण</u>– दिनांक 23.05.2024 को प्रभारी निरीक्षक देवगांव विनय कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा उपरोक्त गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त श्यामनरायण यादव उम्र करीब 39 वर्ष पुत्र कान्ता यादव निवासी सरैया थाना देवगाँव जनपद आजमगढ व भीम यादव उर्फ अरबिन्द यादव उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र सुवाष यादव निवासी खजुरा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ को गायत्री तिराहा पल्हना से समय करीब 08.15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

जनपद –मऊ

01. एक शातिर अपराधी (हिस्ट्रीशीटर) गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटरसाईकिल एवं प्रतिबंधित तमंचा व कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चिरैयाकोट पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 22.05.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर संतबुला मोड़ भोगवा जलालपुर के पास से डी-9 गिरोह के सदस्य हिस्ट्रीशीटर अपराधी सुधीर सिंह पुत्र कमलेश सिंह निवासी अल्देमऊ थाना चिरैयाकोट मऊ के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा व एक जिंदा कारतूस 303 बोर एवं एक चोरी की मोटरसाईकिल अपाची बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 75/24 धारा 3/7/25 आयुद्ध अधि0 व 411,413,414,420 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

02. एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के जेवरात, अवैध तमंचा एवं ई-रिक्शा वाहन बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 23.05.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बंधा मोड़ के पास से एक ई-रिक्शा चालक को रोकने का इशारा किया गया तो घोसी की तरफ मोड़कर भागने का प्रयास किया जिस पर मौजूद पुलिस बल द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया तथा तलाशी के दौरान उक्त के कब्जे से 02 चेन व एक लॉकेट (पीली धातु) व एक जोड़ा पायल (सफेद धातु) तथा एक अदद तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया, इस दौरान रिक्शे पर बैठा एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। उक्त बरामद जेवरात थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 159/2024 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित पाया गया। इस

सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 160/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

03. शातिर व्यक्ति गिरफ्तार, कब्जे से 03 अवैध तमंचा व कारतूस बरामद-

लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.05.2024 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर हडउआ बाई पास से सलमान पुत्र नजमुद्दीन निवासी बनगांवा थाना घोसी के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया तथा धरौली मोड़ बाई पास के पास से विशाल पुत्र जोधा निवासी बनगांवा थाना घोसी के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया । साथ ही साथ थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा बेलचौरा तिराहा के पास से अमन गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के कब्जे से 01 अदद तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में उक्त अभियुक्तो के विरुद्ध धारा 3/25 आयुद्ध अधियनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया ।

जनपद – बलिया

1. थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया पुलिस द्वारा अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री देव रंजन वर्मा के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल कुमार झा (उत्तरी) के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर महोदय श्री आशीष मिश्र के कुशल नेतृत्व मे थाना सिकन्दरपुर पुलिस को मिली सफलता ।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 23.05.2024 को थाना सिकन्दरपुर थानाध्यक्ष श्री दिनेश पाठक मय टीम द्वारा चेकिंग सन्दिग्ध वाहन/ सन्दिग्ध व्यक्ति, तलाश वांछित वारण्टी करते हुए मुखविर की सूचना पर मानापुर मोड़ चौकी कस्बा सि0पुर से एक नफर अभियुक्त 1.पवन कुमार कहार पुत्र सुरेश कहार निवासी मोहल्ला मिल्की थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया को समय 3.30 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूश 315 बोर बरामद हुआ जिसके विरूद्ध मु0अ0स0 148/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय बलिया भेजा गया ।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0स0 148/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. पवन कुमार कहार पुत्र सुरेश कहार निवासी मोहल्ला मिल्की थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया

2. थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री देवरंजन वर्मा के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल कुमार झा (उत्तरी) के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर महोदय श्री आशीष मिश्र के कुशल नेतृत्व मे थाना सिकन्दरपुर पुलिस को मिली सफलता ।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 23.05.2024 को थाना सिकन्दरपुर थानाध्यक्ष श्री दिनेश पाठक के नेतृत्व में मय टीम द्वारा चेकिंग सन्दिग्ध वाहन/ सन्दिग्ध व्यक्ति, तलाश वांछित वारण्टी करते हुए 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण 1. हरेराम उर्फ सरल पुत्र उमाशंकर सा0 काजीपुर थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया 2.विपिन पुत्र उमाशंकर सा0 काजीपुर थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया सम्बन्धित मु0नं0 212/22 धारा 434 भादवि व ¾ लो0सं0 सरकार बनाम विपिन वगैरह मे उसके घर के बाहर से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय बलिया भेजा गया ।

सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग

1. मु0नं0 212/22 सरकार बनाम धारा 434 भादवि व ¾ लो0 सं0 सरकार थाना सिकन्दरपुर बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. विपिन पुत्र उमाशंकर सा0 काजीपुर थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया

2.हरेराम उर्फ सरल पुत्र उमाशंकर सा0 काजीपुर थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया

3. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप

अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 23.05.2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना GRP पर पंजीकृत मु0अ0सं0-209/17 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी अभियुक्त राज कुमार उर्फ मनोज तुरहा पुत्र केशव तुरहा निवासी काशीराम आवास चितबड़ागांव थाना चितबड़ागांव, बलिया को मा0 न्यायालय ADJ-4/NDPS ACT जनपद बलिया द्वारा-
धारा 21/22 NDPS एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

4. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30,000/- (तीस हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 23.05.2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना दोकटी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-91/23 धारा 376 भादवि व धारा 5L/6 व 13/14 पाक्सो एक्ट व 67B IT ACT से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी अभियुक्त विकास पासी पुत्र स्व0 राम नारायण पासी निवासी हृदयपुर थाना दोकटी जनपद बलिया को मा0 न्यायालय /विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट सं0-08 श्री प्रथम कान्त द्वारा-
धारा 6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30,000/- (तीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

5. थाना गड़वार जनपद बलिया पुलिस द्वारा चोरी के आरोपी (मु0अ0स0 104/24 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित चोरी गये मोबाइल को बरामद करते हुए) 02 नफर वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार चालान माननीय न्यायालय किया गया।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया श्री देव रंजन वर्मा महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों / वांछित / फरार अभियुक्तों / वारण्टी अभियुक्तों व चोरी व नकबजनी पर रोक लगाये जाने को लेकर चलाये जा रहे सघन अभियान में श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय जनपद बलिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना गड़वार पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता।
आज दिनांक 23.05.2024 को थाना गड़वार पुलिस टीम के उ0नि0 परमानन्द त्रिपाठी मय हमराह हे0का0 राकेश कुमार व का0 हर्ष कुमार के चौकी रतसर से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित/वारण्टी चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु व थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 104/24 धारा 379 भादवि की विवेचना में झिंगुरी चट्टी रतसर पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि दिनाकं 21.05.24 को चोरी हुई मोबाइल से सम्बन्धित अभियुक्तगण गोलू सिहं उर्फ रोहित सिहं व उत्तम सिहं उर्फ राहुल सिंह जो बलिया से पचखोरा चट्टी होते हुए रतसड़ की तरफ आ रहे है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है मुखवीर की सुचना पर विश्वास करक पुलिस वालों के द्वारा बादी मुकदमा रविशंकर उपा0 को झिगुरी चटटी पहुचने हेतु बताया गया तथा आने वाले अभियुक्त गण का इन्तजार करने लगे कि कुछ देर बाद वादी मुकदमा रविशंकर उपा0 भी आ गये कि वादी मुकदमा व मुखवीर व हमराही कर्मचारीगण के साथ रतसड़ पेट्रोल पम्प के आगे झाडियों की आड़ लेकर आने वाले का इंतजार कर ही रहे थे कि पचखोरा की तरफ से एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति सवार होकर आते हुए दिखाई दिये कि मुखबीर ने उक्त दोनों व्यक्तियों की तरफ इशारा करके हट बढ गया नजदीक आने पर पुलिस वालों के द्वारा आने वाले मोटरसाईकिल सवार दोनों व्यक्तियों को रोक कर पूछताछ की गयी तो मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम गोलू उर्फ रोहित सिंह पुत्र व्यास सिंह ग्राम मठमैन थाना गड़वार जिला बलिया तथा पीछे बैठे ब्यक्ति ने अपना नाम उत्तम सिंह उर्फ राहुल सिंह पुत्र उमेश सिंह निवासी दक्षिणी चट्टी कस्बा रतसड़ थाना गड़वार जिला बलिया बताया जिसको देखकर वादी मुकदमा रविशंकर उपाध्याय ने बताया कि यह वही दोनों व्यक्तिं हैं जो मेरा मोबाइल चुराये थे तत्पश्चात वादी मुकदमा के समक्ष जामा तलाशी ली गयी तो उसके पहने हुए लोवर की जेब से एक अदद मोबाइल वीवो टी टू एक्स 5 G गोल्डेन कलर का बरामद हुआ। पुलिस वालों के द्वारा अभियुक्तगण को उनके कब्जे से चोरी गई मोबाइल की बरामदगी करते हुए उनके अपराध से अवगत कराकर हिरासत पुलिस में लेकर सम्बन्धित धाराओं में चालान माननीय न्यायालय किया गया।

घटना का विवरण-

ज्ञात हो कि दिनांक 21.05.2024 को समय करीब 03.00 बजे दिन मे वादी मुकदमा श्री रविशंकर उपाध्याय पुत्र स्व0 कन्हैया उपाध्याय ग्राम बभनौली थाना गड़वार बलिया जो गुड़ समरिटन स्कूल के सामने दुसरी पटटी पर अपनी मोटर साइकिल खड़ी कर अपने

मोबाइल VIVO T2X 5G को मोटर साइकिल की सीट पर रख कर बगल मे पेसाब कर रहे थे इसी बीच मोटर साइकिल सवार दो लड़के आये और उनकी मोबाइल लेकर जाने लगे तो उन्होंने पीझे मुड़कर देखा कि उनका मोबाइल गाड़ी पर नहीं था तथा उनके मोबाइल को गोलू सिंह उर्फ रोहित सिंह पुत्र व्यास सिंह निवासी मठमैन थाना गड़वार बलिया तथा उत्तम सिंह उर्फ राहुल सिंह पुत्र उमेश सिंह निवासी दक्षिण चटटी रतसड़ थाना गड़वार बलिया द्वारा चोरी कर लिया गया था जिनके विरुद्ध वादी मुकदमा के द्वारा नामजद चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसकी विवेचना प्रचलित थी। विवेचना के क्रम में अभियुक्तगणों की गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

सम्बन्धित अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 104/24 धारा 379 भादवि थाना गड़वार जनपद बलिया

अपराधिक इतिहास- गोलू उर्फ रोहित सिंह-

1. मु0अ0सं0- 02/2021 धारा 307 भादवि थाना नरहीं जनपद बलिया
2. मु0अ0सं0- 15/2021 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना नरहीं जनपद बलिया
3. मु0अ0सं0- 01/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद बलिया

अपराधिक इतिहास- उत्तम सिंह उर्फ राहुल सिंह-

1. मु0अ0सं0- 12/2022 धारा 363, 376D(A) भादवि व 5G/6 पाक्सो एक्ट थाना गड़वार जनपद बलिया
2. मु0अ0सं0- 343/22 धारा 323,325,427,504,506 भादवि थाना गड़वार जनपद बलिया

नाम पता अभियुक्त-

1. गोलू उर्फ रोहित सिंह पुत्र व्यास सिंह निवासी ग्राम मठमैन थाना गड़वार जिला बलिया
2. उत्तम सिंह उर्फ राहुल सिंह पुत्र उमेश सिंह निवासी दक्षिणी चट्टी कस्बा रतसड़ थाना गड़वार जिला बलिया

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

1. रतसर पेट्रोल पम्प के पास समय 09.15 बजे

बरामदगी-

1. एक अदद मोबाइल मोबाइल VIVO T2X 5G